

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।



RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, मंगलवार 08 जून 2021

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए

वर्ष-03, अंक- 248

महत्वपूर्ण एवं खास

बच्चों के लिए दो टीकों पर जारी ट्रायल : पीएम मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर में बच्चों के शिकार होने की आशंका को लेकर कहा कि 2 टीकों पर ट्रायल चल रहा है। यही नहीं पीएम मोदी ने कहा कि एक नेजल वैक्सीन पर भी काम चल रहा है, जिसका नाम में छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने प्राथमिकता के आधार पर हेल्थ वर्कर्स और अधिक आयु के लोगों को टीके लगाए थे। यदि हेल्थ वर्कर्स को दूसरी लहर से पहले वैक्सीन न लगी होती तो क्या होता। ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाने के चलते ही वे दूसरों की सेवा में लग पाए और लाखों लोगों का जीवन बचा पाए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के लगातार कम होते मामलों के बीच देश के सामने अलग-अलग सुझाव आने लगे। यह भी कहा जाने लगा कि आखिर राज्य सरकारों को टीकों और लॉकडाउन के लिए छूट क्यों नहीं मिल रही है। इसके लिए संविधान का जिक्र करते हुए यह दलील दी गई कि आरोग्य तो राज्य का विषय है। इसके बाद केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस तैयार कीं और राज्यों को छूट दी कि वे अपने स्तर पर प्रतिबंध लागू कर सकें। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल 16 जनवरी से 30 अप्रैल तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम केंद्र की देखरेख में ही आगे बढ़ा था। इस बीच कई राज्य सरकारों ने कहा कि वैक्सीन का काम डिस्टेंटाइज किया जाए। कई तरह के स्वर उठे कि वैक्सीनेशन के लिए आयु वर्ग क्यों बनाए गए। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठीं कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। काफी चिंतन-मनन के बाद यह फैसला हुआ कि यदि राज्य सरकारें अपनी ओर से प्रयास करना चाहती हैं तो भारत सरकार क्यों ऐतराज करे

पुणे की सेनेटाइजर फैक्ट्री में लगी आग, 15 की मौत

पुणे (आरएनएस)। पुणे जिले में स्थित सेनेटाइजर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आज दोपहर को भयानक आग लग गई। इस आग की चपेट में आकर 15 लोग मारे गए। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं हैं। घटना आज दोपहर 3.30 बजे पिरानगट गांव के पास स्थित एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित एक निजी फैक्ट्री में घटी। आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री में काम करने वालों को बचने का मौका तक नहीं मिला। जो लोग मारे गए हैं, उनमें से अधिकांश ने दम घुटने से दम तोड़ा है। फैक्ट्री में अभी भी 10 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं क्योंकि इतने ही लोग लापता हैं।

बंगाल में बारिश के दौरान बिजली गिरने से छह लोगों की मौत

कोलकाता (आरएनएस)। कोलकाता समेत बंगाल के विभिन्न जिलों में आज शाम हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से छह लोगों की मौत हो गई। मुर्शिदाबाद में पांच व हुगली में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मरने वाले सभी खेतों में काम कर रहे थे। उसी समय आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ। दूसरी तरफ बारिश होने से कोलकाता समेत विभिन्न जिलों के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। अलीपुर मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 11 जून को बंगाल की खाड़ी के उत्तर में निम्न दबाव के क्षेत्र की उत्पत्ति होगी। उसी निम्न दबाव के साथ मानसूनी बारिश बंगाल में दस्तक देगी।

योग दिवस से देशभर में सबको लगेगी मुफ्त वैक्सीन - पीएम मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित, किये कई ऐलान

» दिवाली तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री मिलेगा राशन

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कोरोना संकट से निपटने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 21 जून से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को फ्री टीका लगाया जाएगा। निजी अस्पतालों को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि वे कोरोना वैक्सीन की एक डोज की तय कीमत के अलावा 150 रुपये से अधिक सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। वहीं उन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन में देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए पीएम गरीब अन्न योजना का विस्तार करते हुए ऐलान किया कि अब दिवाली तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कोरोना से जान गंवाने वालों को याद करके की। उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल में यह सबसे बड़ी महामारी है। साथ ही, देश में वेंटिलेटर और स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अप्रैल और मई के महीने में ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई। भारत में कभी इतनी मात्रा में इतनी ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल, एयरफोर्स, नौसेना को लगाया गया। लिफ्टिड ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी बहुत कम समय में हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि लड़ाई में वैक्सीन सुरक्षा कवच



की तरह है। पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां गिनी-चुनी हैं। अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन हासिल करने में दशकों लग जाते थे। वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाता था। पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हैपेटाइटिस बी की वैक्सीन के लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था।

योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनी है। नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। मेरे किसी भी गरीब भाई-बहन को, उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा।

21 जून से सबको मुफ्त वैक्सीन

पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार जरूरी तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 21 जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खुद खरीदकर राज्य सरकार को मुफ्त देगी। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन को कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।

नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया पड़ा तो सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल, एयरफोर्स, नौसेना को लगाया गया। लिफ्टिड ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी बहुत कम समय में हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि लड़ाई में वैक्सीन सुरक्षा कवच

अब टीके की पूरी जिम्मेदारी केंद्र के पास

पीएम मोदी ने कहा, एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ न हो। सुचारु रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 16 जनवरी से अप्रैल अंत वाली व्यवस्था को फिर लागू किया जाए। आज ये फैसला लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था दो हफ्ते में लागू की जाएगी।

जल्द बढ़ेगी वैक्सीन की सप्लाई

पीएम मोदी बोले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ हजार केस थे, तभी हमने वैक्सीन टारुफ फोर्स का गठन कर दिया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को वित्तीयक ट्रायल में मदद की गई। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के जरिए हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। पिछले कई समय से देश जो लगातार प्रयास कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है।

भारत किसी से पीछे नहीं

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े-बड़े देशों से पीछे नहीं है।

आज जब बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज का जा चुकी है। हमारे यहां कहा जाता है कि विश्वास सिद्धि यानी हमारे प्रयासों से सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे, तभी हमने तैयारियां कर ली थीं।

एक साल में बनाई दो देसी वैक्सीन

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने 5-7 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़ाकर 90% तक पहुंचा दिया। हमने वैक्सीनेशन की स्पीड और दायरा दोनों बढ़ा दिया। बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों को अभियान का हिस्सा बनाया। हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी, गरीबों की चिंता थी, गरीबों के बच्चों की चिंता थी, जिन्हें कभी टीका लग ही नहीं पाया। हम सही तरह से आगे बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश ही नहीं दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगीं कि भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। जब नीयत साफ होती है और नीति स्पष्ट होती है और निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत में एक साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दीं।

वैक्सीनेशन के लिए मिशन मोड में काम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था। हमारी नजर में ये चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को शत-प्रतिशत टीकाकरण कवरेज हासिल करने में 40 साल लग जाते। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया है। हमने तय किया कि इस मिशन के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है। उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। हमने मिशन मोड में काम किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कोरोना से जान गंवाने वालों को याद करके की। उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल में यह सबसे बड़ी महामारी है। साथ ही, देश में वेंटिलेटर और स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अप्रैल और मई के महीने में ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई। भारत में कभी इतनी मात्रा में इतनी ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल, एयरफोर्स, नौसेना को लगाया गया। लिफ्टिड ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी बहुत कम समय में हो गई।


ऑक्सीजन की कमी का किया जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कोरोना से जान गंवाने वालों को याद करके की। उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल में यह सबसे बड़ी महामारी है। साथ ही, देश में वेंटिलेटर और स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अप्रैल और मई के महीने में ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई। भारत में कभी इतनी मात्रा में इतनी ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल, एयरफोर्स, नौसेना को लगाया गया। लिफ्टिड ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी बहुत कम समय में हो गई।

फरीदाबाद में 10 हजार मकानों पर चलेगा बुलडोजर

» सुप्रीम कोर्ट ने वन क्षेत्र को खाली कराने का दिया निर्देश

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद निगम को लकड़पुर-खोरी गांव के वन-क्षेत्र में स्थित तमाम घरों को छह हफ्ते के भीतर ढहाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हर हालत में वन-क्षेत्र खाली होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। वन-क्षेत्र में करीब 10 हजार घर बने हुए हैं। जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की



पीठ ने फरीदाबाद निगम को छह हफ्ते के भीतर किसी भी हालत में वन-क्षेत्र में बने मकानों को ढहाने का आदेश दिया है। पीठ ने हरियाणा सरकार को निगम कर्मियों की सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा है कि छह महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश किया जाए, इसके बाद हम अनुपालन रिपोर्ट की सत्यता जांच करेंगे। पीठ ने साफ कहा कि अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक को निगम कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा

मुहैया कराने में कोताही होने पर एसपी जिम्मेदार होंगे। पीठ ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने इस वन क्षेत्र में बने निर्माणों को हटाने का आदेश दिया था लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी अब तक इसे अंजाम नहीं दिया जा सका है। इतना ही नहीं पीठ ने यह भी कहा कि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी निगम को इन अवैध मकानों को ढहाने के लिए कहा था। इसके बाद सितंबर 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोहराया था। पीठ ने कहा कि इतने आदेशों के बावजूद वन-क्षेत्र को खाली नहीं कराया जा सका है। पीठ ने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें निगम की उदासीनता दिखाई देती है। फरीदाबाद निगम की ओर से पेश वकील ने बताया कि ढहाने की कार्रवाई हुई है लेकिन वहां लोगों द्वारा निगम की टीम पर पथराव किए जाते हैं। लिहाजा उन्हें पर्याप्त पुलिस सुरक्षा करने का निर्देश दिया जाए जिससे कि ढहाने की कार्रवाई को बिना किसी बाधा के अंजाम दिया जा सके। जिसके बाद पीठ ने हरियाणा सरकार से निगम टीम को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है। वहीं वन क्षेत्र में रह रहे लोगों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोजाल्विस ने कहा कि कार्रवाई फिलहाल रोक दी जाए और वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास के मामले का निपटारा कर दिया जाए।

दिल्ली एम्स में वैक्सीन के परीक्षण को बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू

नई दिल्ली (आरएनएस)।

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन के टीके के बच्चों में परीक्षण के लिए, यहां के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सोमवार से दो वर्ष के बच्चे से 18 साल तक के किशोर की जांच शुरू हो गई। पटना स्थित एम्स में बच्चों में यह पता लगाने के लिए परीक्षण को बिना किसी बाधा के अंजाम दिया जा सके। जिसके बाद पीठ ने हरियाणा सरकार से निगम टीम को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है। वहीं वन क्षेत्र में रह रहे लोगों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोजाल्विस ने कहा कि कार्रवाई फिलहाल रोक दी जाए और वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास के मामले का निपटारा कर दिया जाए।

दिन दूसरी खुराक दी जाएगी। एम्स के 'सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन' के प्रोफेसर डॉ संजय राय ने कहा कि कोवैक्सीन के परीक्षण के लिए बच्चों की जांच शुरू कर दी गई है। और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चों को टीके की खुराक दी जाएगी। भारत के दवा नियामक कोवैक्सीन का दो साल के बच्चे से ले कर 18 साल की उम्र के किशोरों पर परीक्षण करने की मंजूरी 12 मई को दे दी थी। देश में टीकाकरण अभियान में वयस्कों को कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार ने पिछले सप्ताह आगाह किया कि कोरोना वायरस संक्रमण का अभी तक भले ही बच्चों में गंभीर प्रभाव नहीं हुआ है।

देश में दो माह के बाद सबसे कम कोरोना मामले दर्ज

» 24 घंटे में एक लाख नए मामले, 2427 मौतों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में 61 दिनों के बाद कोरोना वायरस के सबसे कम मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के एक लाख मामले दर्ज किए गए हैं और 2427 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 1,00,636 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,89,09,975 हो गई।



वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 14,01,609 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 2,427 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,49,186 हो गई। पिछले 45 दिन में संक्रमण से मौत के ये सबसे कम मामले सामने आए हैं। इससे पहले छह अप्रैल को 24 घंटे में संक्रमण के 96,982 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक कुल

36,63,34,111 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 15,87,589 नमूनों की जांच रिवार को की गई। नमूनों के संक्रमित आने की दर 6.34 प्रतिशत है। पिछले 14 दिन से संक्रमण की दैनिक दर 10 प्रतिशत से कम बनी है। वहीं, संक्रमण की साप्ताहिक दर भी कम होकर 6.21 प्रतिशत हो गई है। सक्रिय मामले 15 लाख से नीचे- मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी 14,01,609 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 4.85 प्रतिशत है।

लोकपाल को भ्रष्टाचार की मिली 110 शिकायतें, चार सांसदों के खिलाफ भी हैं ऐसी शिकायतें

नई दिल्ली (आरएनएस)। भ्रष्टाचार रोधी निकाय लोकपाल को साल 2020-21 के दौरान कुल 110 शिकायतें मिलीं। इनमें से चार मामले सांसदों से जुड़े थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में जितनी शिकायतें मिलीं, उससे अगले वर्ष 92 प्रतिशत कम शिकायतें आयीं। लोकपाल को 2019-20 में भ्रष्टाचार की 1427 शिकायतें मिली थीं। पिछले वित्त वर्ष में मिली कुल शिकायतों में से 57 केंद्र सरकार के समूह 'ए' या समूह 'बी' के अधिकारियों के खिलाफ, 44 शिकायतें केंद्र के

पूर्ण या आंशिक नियंत्रण वाले विभिन्न बोर्ड, निगम, स्वायत्त निकाय के अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों के खिलाफ और पांच अन्य श्रेणी की शिकायतें थीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति पिनानी चंद्र घोष को लोकपाल के अध्यक्ष पद की शपथ दिलायी थी। लोकपाल के पास प्रधानमंत्री समेत सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। लोकपाल के आठ सदस्यों को उसी साल 27 मार्च को न्यायमूर्ति घोष ने पद की शपथ दिलायी थी। इन आठ

सदस्यों में चार न्यायिक और बाकी गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। वर्तमान में लोकपाल में दो न्यायिक सदस्यों के पद रिक्त हैं। आंकड़ों के मुताबिक लोकपाल ने 30 शिकायतों की आरंभिक जांच की और आरंभिक जांच के बाद 75 शिकायतें बंद कर दी गयीं। वर्ष 2020-21 में आरंभिक जांच रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कुल 13 शिकायतें बंद कर दी गयीं। लोकपाल के आंकड़ों में कहा गया है कि समूह 'ए' और 'बी' के अधिकारियों के खिलाफ भेजी गयी 14 शिकायतें मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और तीन शिकायतें केंद्रीय अन्वेषण

ब्यूरो (सीबीआई) के पास लंबित हैं। एक मामले में कार्रवाई रिपोर्ट दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास लंबित है। आंकड़ों के मुताबिक, लोकपाल को 2019-20 के दौरान मिली 1427 शिकायतों में 613 राज्य सरकार के अधिकारियों और चार केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ थीं। केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ 245, केंद्र के सार्वजनिक उपक्रम, वैधानिक निकायों, न्यायिक संस्थानों और स्वायत्त निकायों के खिलाफ भी 200 और किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ 135

शिकायतें मिलीं। छह शिकायतें राज्य के मंत्रियों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ और चार शिकायतें केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ थीं। कुल शिकायतों में 220 अनुरोध, टिप्पणी या सुझाव थे। आंकड़ों में कहा गया कि 613 शिकायतें राज्य सरकार के अधिकारियों, राज्य स्तर के सार्वजनिक उपक्रम, वैधानिक निकायों, न्यायिक संस्थानों और स्वायत्त निकायों के खिलाफ थीं। आंकड़ों के मुताबिक, कुल शिकायतों में 1347 का निपटारा कर दिया गया जबकि 1152 शिकायतें लोकपाल के दायरे के बाहर की थीं।